भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3746

17 मार्च, 2020 को उत्तरार्थ

विषय : किसानों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

3746. श्रीमती शर्मिष्ठा सेठीः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को भारत में किसानों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से किसानों को बचाने के लिए कोई कार्य योजना लाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) एवं (ख) : देश ने जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए कार्रवाई शुरू की है। इन प्रयासों ने जलवायु परिवर्तनशीलता और फसलों, बागवानी, पशुधन और मत्स्य पालन पर जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर के प्रभावों के संदर्भ में मूल्यवान इनपुट प्रदान किए हैं। अपने कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से, जलवायु अनुकूल कृषि पर ध्यान केंद्रित करने के लिए खाद्य सुरक्षा, संवर्धित आजीविका अवसर और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सही अनुकूल कार्यनीति तैयार की गई है।

राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एनएपीसीसी) के अंतर्गत राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) नामक एक मिशन में मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी), परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई), पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर), वर्षासिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी), राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम) और कृषि वानिकी उप-मिशन (एसएमएएफ) जैसे कार्यक्रम संबंधी हस्तक्षेप शामिल हैं। प्रधान मंत्री कृषि सिचाई योजना (पीएमकेएसवाई) सहित ये कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रम प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित कर रहे हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के तहत अन्य बातों के साथ-साथ, खाद्यानों के तनाव सहिष्णुता/जलवायु अनुकूल किस्मों के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

एनएमएसए के तहत दस निम्नलिखित डिलिवरेबल्स पर निगरानी रखी जाती है:

i) जैविक खेती के तहत क्षेत्र, ii) जैव-उर्वरकों का उत्पादन, iii) सटीक सिंचाई, iv) एसआरआई/डायरेक्ट सीडेड राइस फ्राम ट्रांसप्लांटेशन प्रति रोपण, v) फसल विविधीकरण, vi) कृषि योग्य भूमि में रोपण के तहत अतिरिक्त क्षेत्र, vii) अभिज्ञात/विमोचित जलवायु अनुकूल किस्में (सीआरवी), viii) क) संवर्धित कार्बन डाई ऑक्साईड निर्धारण क्षमता और कम जल खपत एवं पोषक तत्वों सहित जीनोटाइप्स फसलों की पहचान, viii ख) सूखा, बाढ़, लवणता और उच्च तापमान के लिए बेहतर अनुकूलन सहित जलवायु अनुकूल जीनोटाइप, ix) राशन संतुलन कार्यक्रम के अंतर्गत दुधारू पशुओं की कवरेज और, x) बाईपास प्रोटीन फीडिंग यूनिट की स्थापना।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने जलवायु अनुकूल एकीकृत कृषि प्रणालियों (आईएफएस) के लिए 45 मॉडल विकसित किए हैं जिन्हें कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) में प्रदर्शन के लिए दोहराया गया है और वर्षासिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी) कार्यक्रम के माध्यम से विस्तारित किया गया है। राष्ट्रीय जलवायु अनुकूल कृषि नवाचार (एनआईसीआरए) नामक परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक 151 जिलों में से प्रत्येक में एक गांव को विकसित किया गया है। यह चक्रवात और लू के कारण बाढ़, सूखा, ठंड, आप्लावन जैसे जलवायु तनावों के प्रति सहिष्णु फसल किस्मों को मुख्य रूप से विकसित करने के उद्देश्य से किसानों के खेतों पर प्रौद्योगिकियों को अपनाने, शमन और प्रदर्शन पर रणनीतिक शोध को शामिल करते हुए यह एक बहु-आयामी रणनीति का पालन करता है। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान (सीआरआईडीए), हैदराबाद द्वारा जलवायु परिवर्तन के लिए भारतीय कृषि की अतिसंवेदनशीलता पर एक एटलस तैयार किया गया है। 648 जिलों के लिए जिला कृषि आकस्मिक योजनाएं स्थायी कृषि के लिए मौसम की गड़बड़ियों के प्रबंधन के लिए तैयार की गई हैं।

जलवायु अनुकूल किस्मों की तैयारियों और शुरूआत के कारण, कुल खाद्यान्न 2005-06 में 208.60 मिलियन टन से बढ़कर 2018-19 (चौथा अग्रिम अनुमान) में 284.95 मिलियन टन और बागवानी उत्पादन 2004-05 में 116.9 मिलियन टन से बढ़कर 2018-19 (तीसरा अग्रिम अनुमान) में 313.85 मिलियन टन हो गया है।

****